

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-08वीं जुलाई 2021

सेवा में,

Saroj Kumar Singh, Pravin Kumar Agarwal,
Smt. Bandana, Rajesh Kumar Thakur, Muulidhar Poddar,
Near BIG Bazar, Kolakushma, Dhanbad.

विषय:- मौजा-Kolakushma No. 12 प्लॉट नं0-Old Plot No.- 216,220,223, 224, 226, 222, 217,218, 219, New Plot No. - 213,214, 225,226, 227,231, 224, 228, 229,230, खाता नं0-Old Khata No.- 01, New Khata No.- 24, 708, वार्ड नं0-23, थाना-सरायढ़ेला, जिला-धनबाद में प्रस्तावित बहुमंजिले व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिले व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, धनबाद से कराई गई। उनके द्वारा ज्ञापांक-314, दिनांक-24.06.2021 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रस्तावित बहुमंजिले व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवनों के परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 1,50,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित दोनों भवनों में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस-बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ व्यावसायिक भवनों के दोनों स्टेयरकेश लॉबी तथावा आवासीय भवनों के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में 150 MM डायामेटर का एक-एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय। भवनों के चारों तरफ एक-एक Yard Hydrant दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
5. आवासीय भवनों के सतही तथा Amenities/Community Hall, बेसमेन्ट एवं सभी व्यावसायिक तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्मिंग सिस्टम गौंग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
6. ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि स्प्रिंकलर के जलापूर्ति हेतु किये जानेवाले पाईपिंग व्यवस्था का संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरेस टैंक दोनों से रहे। राईजर एवं स्प्रिंकलर के लिए अलग-अलग पम्पिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाय।
7. भवन के व्यावसायिक तलों को Addressable Type Smoke Detector से सुरक्षित किया जाय।
8. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 Lpm क्षमता का एक-एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
10. 900 Lpm क्षमता वाले एक-एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
11. 180 Lpm क्षमता वाले एक-एक जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
12. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।

13. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
14. उपर्युक्त भवनों के सभी लिफ्टों को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
15. भवन के बेसमेन्ट के लिय अलग से सीढ़ी एवं लिफ्ट की व्यवस्था रखी जाय अथवा सतही तल पर ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि उपरी तलों से सीढ़ी/लिफ्ट से आने पर सतही तल पर रुकने के बाद ही बेसमेन्ट के लिये प्रस्थान कर सकें। Eccallators के अग्नि-सुरक्षात्मक मानक के अनुरूप किया जाय।
16. NBC के अनुसार अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु भवन के सामने वाले भाग में 12 मीटर चौड़ी, ठोस एवं समतल जगह खुले रूप में हर समय उपलब्ध रखा जाय।
17. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
18. भवन में मानक के अनुरूप रिफ्युज एरिया का निर्माण कराया जाय।
19. भवन के सभी ब्लॉकों में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
20. दोनों भवनों के सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
21. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
22. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसि इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
23. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
24. सभी मेन इलेक्ट्रिकल पेनल/स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
25. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
26. Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक स्टेयरकेश के प्रत्येक तलों पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
27. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
28. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
29. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
30. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
31. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।